रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1973 (कार्तिक 12, 1895)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1973 (KARTIKA 12, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

301 GI/73

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	939
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1775
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	175
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1235
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2091
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3651
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	335
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5271
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	513
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	47
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें निविदा सूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1841
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	199
पूरक संख्या 44—	
27 अक्टूबर, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1385
6 अक्टूबर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा कई बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े	1397

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	939
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1775
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	175
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1235
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	2091
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3651
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	335
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4981
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	513
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1829
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	195
SUPPLEMENT No 44	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 27th October 1973	1371
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 6th October 1973	1 387

भाग I खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली--110011, दिनांक 17 अक्तूबर 1973

सं० क्यू० (हिन्दी)/621(43)/72---प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर, 1972 को केन्द्रीय हिन्दी समिति की पहली बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की एक उप-समिति का गठन किया गया है। यह उप-समिति इस प्रकार होगी:—

1. श्री स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विदेश राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री गंगा शरण सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
4. डा० रामधारी सिंह दिनकर	सदस्य
5. श्री आर० सदाशिवम्	सदस्य
6. श्री रमा प्रसन्न नायक, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
7. श्री अवतार सिंह, सचिव (पश्चिम)	सदस्य-सचिव

यह उप-समिति सरकार की सामान्य नीति के अंतर्गत कार्य करेगी और हिन्दी के प्रयोग और उनकी प्रगति से संबद्ध मामलों पर मंत्रालय को सलाह देगी। इस समिति की अवधि इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

इस समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सुरेन्द्र सिंह आलीराजपुर, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 अक्तूबर 1973

सं० 1/8/71-कमेटी—भारत के राजपत्र के भाग प्रथम, अनुभाग प्रथम में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/8/71-कमेटी, दिनांक 30 अगस्त, 1972 के अनुक्रमण में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि समिति पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) की आवश्यकताओं हेतु अधिशासी सभा के निम्न सदस्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियम संख्या 3 (iii) के अन्तर्गत, समिति (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के सदस्य होंगे :—

1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत (श्री एम० आर० यार्दी, वित्त सचिव) (अधिसूचना संख्या 1/8/71-कमेटी, दिनांक 30-8-1972 में क्रम सं० 20 पर प्रदर्शित सी० एस० आई० आर० के वित्तीय सलाहकार के स्थान पर)।
2. प्रोफेसर जयकृष्ण, वाइस चांसलर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।
3. श्री एन० पी० सेन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, बैला विष्टा, पोस्ट बाक्स नं० 4, हैदराबाद-500004।
5. निम्न सम्बन्धय परिषदों के पांच अध्यक्ष
   (अ) इंजीनियरी ग्रुप : (डा० ए० लाहिरी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिएलगोड़ा)।
   (आ) रसायन विज्ञानी ग्रुप: (डा० एम० जी० कृष्णा, निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून)।
   (इ) जीव विज्ञानी ग्रुप : (डा० एम० एल० धर,

निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ) ।

(ई) भौतिकी एवं भू-विज्ञानी ग्रुप :
(डा० ए० आर० वर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली) ।

(उ) फाइबर ग्रुप :
(श्री के० श्रीनिवासन, निदेशक, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संस्था, कोयम्बतूर) ।

वाई० नायुडम्मा, सचिव ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1973

शुद्धि-पत्र

सं० 5-9/71-ए० पी०—आन्ध्र प्रदेश में बाल परिचर्या परियोजना सम्बन्धी नीति और तकनीकी मामलों में सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकार बोर्ड के गठन सम्बन्धी इस मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या 5-9/71 ए० पी० में ।

स्थान पर	पढ़े
10. आयुक्त, पंचायती राज, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।	सचिव, रोजगार और समाज कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

आनन्द प्रकाश अग्नी, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1973

संशोधन

सं० 12028/1/72-एफ० डी० (डब्ल्यु० एल० एफ०)—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या जे० 12028/1/72 एफ० डी० (डब्ल्यु० एल० एफ०) दिनांक 4-6-1973 में वागान समिति के नीचे मद ख (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए ।

"उप महा वन निरीक्षक (क)

रूप राम, अवर सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 2 अक्तूबर 1973

सं० 4/3/73-सी० ए०-2—भारत सरकार नें निर्णय किया है कि उनके संकल्प संख्या 8-8-1967 सी० सी० 2 तारीख 28-10-1967 के अनुसार गठित की गई भारतीय गन्ना विकास परिषद् का तुरंत पुनर्गठन किया जाए पुनर्गति परिषद् निम्न प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष — एक गैर सरकारी व्यक्ति जिसे भारत सरकार नामजद करेगी ।

2. उपाध्यक्ष — अपर सचिव, भारत सरकार कृषि विभाग ।

3. सदस्य

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — (1) निम्नलिखित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जोकि सम्बन्धित राज्य सरकारों के कृषि/गन्ना विकास विभाग द्वारा नामजद किया जाएगा :—

(1) उत्तर प्रदेश
(2) महाराष्ट्र
(3) पंजाब
(4) हरियाणा
(5) आन्ध्र प्रदेश
(6) मैसूर
(7) तमिल नाडु
(8) बिहार

(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।

(4) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

(5) खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(6) निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राय बरेली रोड, पो० आ० दिलखुसा, लखनऊ-2

(7) परियोजना समन्वयक (गन्ना), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

(8) परियोजना समन्वयक (चुकन्दर), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।

(9) संयुक्तायुक्त (इटों) या विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में फार्म सूचना एकक के निदेशक

(ख) **उत्पादकों के प्रतिनिधि** :—निम्नलिखित गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों की राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि:—

(1) उत्तर प्रदेश
(2) महाराष्ट्र
(3) पंजाब
(4) हरियाणा
(5) आन्ध्र प्रदेश
(6) मैसूर
(7) तमिल नाडु
(8) बिहार

(2) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा ।

(ग) **उद्योग के प्रतिनिधि**

(1) इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि

(2) नैशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज का एक प्रतिनिधि ।

(3) गुड और खाण्डसारी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि जिसे उत्तर प्रदेश सरकार नामजद करेगी ।

(घ) **व्यापारियों के प्रतिनिधि**

(1) बम्बई, (2) कानपुर और (3) कलकत्ता के शूगर मर्चेन्ट एसोसिएशन का एक-एक प्रतिनिधि ।

(ङ) **संसद सदस्य** : 4 सदस्य जिन्हें संसद कार्य विभाग नामजद करेगा ।

(च) भारत सरकार द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों को उनके हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समय-समय पर नामजद किया जाए जिन्हें पहले परिषद् में प्रतिनिधित्व न दिया गया हो ।

4. **सदस्य सचिव** निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

5. प्रेक्षक:— (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु परिषद् के विचार विमर्श में सहायता देने के लिए उन्हें निरन्तर रूप से आमंत्रित किया जाएगा) ।

(1) कृषि विपणन सलाहकार, कृषि मंत्रालय ।

(2) कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध संयुक्त सचिव (वित्त) ।

(3) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ।

(4) निदेशक, गन्ना सम्बर्द्धन संस्थान कोयम्बेटूर ।

(5) संयुक्तायुक्त (निर्यात वर्धन), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

(6) संयुक्तायुक्त (वाणिज्यिक फसले) । कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

(7) उप-सचिव (फसल), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

(8) अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

2. **कार्य** परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी :—

1. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विकास-कार्यक्रम पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना और प्रगति को तेज करने के लिए उपाय सुझाना ।

2. जिन्सों के विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण तथा परिवहन और उनके व्यापार और मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच पडताल करने और इस विषय में सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण योगदान देना;

3. कार्यक्रम बनाकर और मण्डी में बढ़िया किस्म की जिन्स की आवश्यकता के बारे में अनुसंधान एजेन्सियों को सलाह देकर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना ;

4. निर्यात मण्डी की आवश्यकताओं पर विचार करना और उसके अनुरूप विकास कार्यक्रम समंजित करना; और

5. जिन्स विकास सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जावें ।

3. भारतीय गन्ना विकास परिषद् को अधिकारी होगा कि वह विशेष महत्व के मामलों पर विचार करने और आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों आदि के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को सहयोजित करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है ।

4. गन्ना उत्पादक क्षेत्रों और व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर परिषद् की समय-समय पर बैठक होंगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् की कार्यावधि 31-12-1976 तक होगी । परन्तु भारत सरकार आवश्यकता पडने पर परिषद् की कार्यावधि कम या अधिक कर सकती है । संसद सदस्यों की संसद सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद् की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० सी० कपूर, अपर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1973

विषय :—**सर जमशेदजी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के मामले में।**

सं० एफ० 82-5/72-समन्वय—जबकि शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय शिक्षा विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 8-5/72-समन्वय, दिनांक 21 जुलाई, 1973 के द्वारा भारत के पूर्त अक्षय निधि के खजांची को सर जमशेदजी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई को 10,500 रु० के अंकित मूल्य के 1972-73 के 4% बम्बई पतन न्यास ऋण पत्र के प्रतिदान की आय को 5 1/2 भारत सरकार ऋण 1999 में पुनः निवेश करने का अधिकार दिया गया था।

तथा जबकि भारत की पूर्त अक्षय निधि के खजांची के एजेन्ट के रूप में महाराष्ट्र के पूर्त आयुक्त ने यह बताया है कि रु० 10,436-01 की लागत से भारत सरकार ऋण 1999 में जमा कराके, 10,500 रु० के अंकित मूल्य का उक्त पुनः निवेश पूरा किया गया है, इस प्रकार रु० 63-99 की निवेश न की गई राशि बकाया रह गई है, जो कि निवेश किए जाने के लिए बहुत थोड़ी है, अतः उक्त संस्था के प्राधिकारियों को वापस किया जाना है।

अतः अब पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि रु० 63-99 (केवल तिरेसठ रुपये तथा निन्यानवे पैसे) की उक्त निवेश न की गई बकाया राशि सर जमशेदजी जीजाभाय, पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाए।

कंवर लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1973

संकल्प

विषय:—राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती की नीतियां तथा पद्धतियां।

सं० एफ० 1-25/70-स्कूल-4—राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् के संघ के ज्ञापन के अनुच्छेद 6 द्वारा उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने उनके राजपत्र अधिसूचना सं० एफ० 1-25/70-स्कूल-4, दिनांक 3 नवम्बर, 1970 द्वारा श्री बटुक सिंह, सेवा निवृत्त, रक्षा लेखा के महानियंत्रक तथा संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व सदस्य को निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित परिषद् की भर्ती नीतियों तथा पद्धतियों का पुनरीक्षण करने के लिये नियक्त किया :—

(i) जबसे परिषद् की स्थापना हुई है तबसे इसके द्वारा अपनाई गई भर्ती नीतियों तथा पद्धतियों का पुनरीक्षण करना और इसकी वर्तमान भूमिका के संदर्भ में परिषद् के लिये उपयुक्त नीतियों तथा पद्धतियों की सिफारिशें करना।

(ii) कुछ संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को भेजे गये अभ्यावेदन में भर्ती से संबंधित अनियमितताओं के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच करना तथा उन पर रिपोर्ट देना।

2. श्री बटुक सिंह ने अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1971 को प्रस्तुत कर दी। उन्होंने रिपोर्ट में जो सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, उनका सारांश संकल्प के साथ अनुबद्ध है।

3. सरकार ने रा० शै० अ० प्र० परिषद् की कार्यकारी समिति की सलाह से रिपोर्ट की जांच करली है तथा परिषद् के संघ के ज्ञापन के अनुबंध 6 के अन्तर्गत उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर परिषद् द्वारा नीचे बताए अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(क) भर्ती की पद्धतियों तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें परिषद् द्वारा तुरन्त कार्यान्वित की जानी चाहियें तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम, विनियम अथवा आदेश जो भी अपेक्षित हों परिषद् द्वारा जारी किये जाने चाहियें।

सिफारिश सं० 1, 2, 3, 15, 20, 23, 24, 32, 33, 35, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, और 63।

(ख) सिफारिश सं० 49 में वर्ग I और II के कर्मचारियों की "परामर्श भर्ती" संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का सुझाव दिया गया है, परन्तु परिषद् की भर्ती पद्धतियों में सुधार लाने के लिये रिपोर्ट में सिफारिश किये गये विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन से यह महसूस किया गया है कि परिषद् को संघ लोक सेवा आयोग की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इन परिस्थितियों में सिफारिश सं० 49 को कार्यान्वित करने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) सिफारिश सं० 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 36 की जांच परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाने वाली शिक्षाविद् समिति द्वारा की जाए और फिर इस मामले पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाए।

(घ) सिफारिश सं० 25 को तभी कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते विशिष्ट मामलों खासकर विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के लिये छूट की उचित व्यवस्था की जा रही हो।

(ङ) सिफारिश सं० 26 तभी कार्यान्वित की जाएगी बशर्ते इसमें यह संशोधन किया जाये कि प्रवरण समिति के अध्यक्ष को अवश्य रूप से सं० लो० से० आयोग का सेवा-निवृत्त सदस्य होना जरूरी नहीं क्योंकि समिति के

लिये ऐसे सदस्य की सेवायें प्राप्त करना हमेशा संभव न हो सकेगा।

(च) सिफारिश सं० 27, 28, 29, 30, 31 और 34 पर रा० शै० अ० प्र० परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया जाए और तब इसके द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाए।

(छ) सिफारिश सं० 50, 52, 57 और 58 को कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं। यात्रा भत्ता इत्यादि जैसे मामलों में रा० शै० अ० प्र० परिषद् को जहां तक हो सके वही प्रक्रिया अपनानी चाहिये जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रचलित हो तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिये परिषद् को भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

4. सरकार ने यह नोट किया है कि श्री बटुक सिंह का यह मत है कि "परिषद् के प्रबन्ध के विरुद्ध की गई अधिकांश शिकायतों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है अथवा इस तथ्य पर उन्हें गलत माना जाता है कि उनके सबूत में उपलब्ध लिखित प्रमाण पेश नहीं किए गए हैं।" तथापि उन्होंने परिषद् द्वारा अपनाई गई क्रियाविधियों में गम्भीर कामियां बताई हैं। सरकार यह आशा करती है कि श्री बटुक सिंह द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपचारी उपायों के कार्यान्वयन से प्रशासन और भर्ती क्रियाविधियों में पाई गई कमियां दूर हो जाएंगी।

5. सरकार ने यह नोट किया है कि श्री बटुक सिंह ने जो नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के सात मामलों की जांच की है, उनमें से निम्नलिखित तीन मामलों में अर्हताओं में छूट देना शामिल थी। समुचित रूप से गठित प्रवरण समिति ने उनकी सिफारिश की थी:—

(क) सामाजिक विज्ञान विभाग में लेक्चरर की नियुक्ति (अब सहायक परियोजना अधिकारी कहलाते हैं)।

(ख) श्री जी० राजू का जीवविज्ञान बेरीडर के रूप में चयन।

(ग) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल में भौतिक शास्त्र में रीडर के पद पर भर्ती।

चौथे मामले के बारे में सरकार ने यह नोट किया है कि श्री बटुक सिंह ने यह देखा है कि आंकड़े तैयार करने संबंधी और शैक्षिक सर्वेक्षण एकक के लिए स्टाफ के चयन पर की गई शिकायतों से संबंधित इस आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है कि चयन करने में प्रवरण समिति पर प्रादेशिक अथवा व्यक्तिगत प्रभाव डाला गया था, और प्रवरण समिति के विरुद्ध अनुचित तरीके अपनाने के आरोप को भी साबित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने इस बात को नोट कर लिया है कि प्रारंभ में साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची ध्यान से तैयार नहीं की गई थी।

अन्य तीन मामलों के बारे में दो मामले दीर्घकालीन तदर्थ नियुक्तियों से और एक मामला नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित है। सरकार ने यह नोट किया है कि कार्य समिति ने इस संबंध में मामलों को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिये हैं।

9. श्री बटुक सिंह ने जांच करने में जो अपनी सेवाएं पेश की हैं और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके लिए सरकार सराहना करती है।

इन्द्र देव नारायण साही, सचिव

श्री बटु सिंह द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भर्ती नीतियों और क्रियाविधि पर अपनी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सारांश।

1. रा० शै० अ० प्र० प० को शीघ्र ही यथासंभव व्यापक मात्रा में अपने विनियम संकलित करने चाहिए।

2. रा० शै० अ० प्र० प० को, भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्वीकृत क्रियाविधियों को बारीकी से पालन करना जरूरी नहीं है।

3. चुनिन्दा ऊपर के व्यक्तियों की "व्यक्तिगत संपर्क" द्वारा भर्ती बहुत ही कम और विरले ही होगी; प्रत्येक चयन को योग्यताओं के आधार पर किया जाना होगा।

4. रा० शै० अ० प्र० प० के अधीन सभी रोजगारों की "आवश्यक और वांछनीय" योग्यताओं को विस्तार से सूचीबद्ध करना चाहिए और इनको स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए। इसमें बाद में किए गए किसी भी संशोधन को भी इसी प्रकार अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

5. योग्यताओं की शब्दावली, चाहे "आवश्यक" हो अथवा "वांछनीय" अस्पष्टता, अयथार्थता अथवा उभयभाविता से मुक्त होनी चाहिए।

6. वैकल्पिक योग्यताओं की संख्या को बहुत ही कम कर देना चाहिए;

7. "प्रतिकारी" योग्यताएं रखने की पद्धति केवल "वांछनीय" योग्यताओं में लागू होनी चाहिए।

8. जहां "अनिवार्य" अथवा "वांछनीय" योग्यताओं के अन्तर्गत "पी० एच० डी०" डिग्री शामिल की गई हैं, तो इसके वैकल्पिक अथवा "समतुल्य" शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

9. योग्यताओं में छूट की एक संक्षिप्त किन्तु निश्चित नियमावली होनी चाहिए जो सुगम, समझाने योग्य, न्यायसंगत और अपरिहार्य होनी चाहिए।

10. रा० शै० अ० प्र० प० के कर्मचारियों को, सभी "शैक्षिक" पदों के लिए पूरी समानता के आधार पर "बाहर के" उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। "गैर-शैक्षिक" पदों के मामले में भी ऐसा करने के लिए वे पात्र होने चाहिए।

11. परिषद् के कर्मचारियों के मामले में आयु-सीमा में छूट अधिक से अधिक पांच वर्षों तक होनी चाहिए।

12. स्थापना समिति के विभागाध्यक्ष, निदेशक/संयुक्त निदेशक और संबंधित सदस्य को आवेदन-पत्रों की जांच करने के

लिए अलग-अलग से दस दिन से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

13. जब दो उम्मीदवारों के बीच अन्तर न्यूनतम हो, तो "शाक्षात्कार" के प्रयोजन के लिए संदेह का लाभ दूसरे उम्मीदवार को भी दिया जाना चाहिए।

14. "सलाहकारों" के नाम बिल्कुल गोपनीय रखे जाने चाहिए।

15. जहां तक सम्भव हो सलाहकार, देश के प्रत्येक भाग और क्षेत्र के होने चाहिए। इस सम्बन्ध में अब तक दिल्ली को प्राप्त प्राथमिकता में काफी कटौती की जानी चाहिए।

16. उन्हीं सलाहकारों, चाहे वे कितने ही विख्यात हो बार बार नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

17. स्थापना समिति के एक ही सदस्य को किसी आवेदन पत्र की अंतिम छटनी के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसी पद के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को चयन समिति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

18. यदि सलाहकार/विशेषज्ञ के बीच कोई मतभेद हो तो पद को पुनः विज्ञापित किया जाना चाहिए और चयन करने के लिए एक नई चयन समिति गठित की जानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सलाहकार/विशेषज्ञ भी बदला जाना चाहिए।

19. प्रथम और द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) के पदों पर भर्ती के लिए बुलाई गई सभी चयन समितियों का अध्यक्ष सम्भवतः कोई बाहर का व्यक्ति, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सेवा निवृत्त सदस्य होना चाहिए।

20. अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करते समय पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

21. "आरक्षित सूची" यदि एक वर्ष पुरानी हो गई हो तो उसे पुराना समझा जाना चाहिए।

22. उम्मीदवारों की सूची "आरक्षित सूची" एक गोपनीय दस्तावेज समझा जाना चाहिए और उसे निदेशक स्वयं ही रखे।

23. जब भी चयन समिति की बैठक हो उसके सदस्यों से बैठक की कार्यवाहियों को अत्यन्त गोपनीय रखने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

24. एक पद के लिए समाकलित की गई योग्यता सूची में ऊपर रहने वाले सफल उम्मीदवार को उसके नीचे के उम्मीदवार से कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए।

25. "अनुपस्थित" उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

26. परिषद् में सभी राजपत्रित पदों के लिए चयन समिति निम्नलिखित में से गठित की जानी चाहिए :—

(1) एक अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग का सेवा निवृत्त सदस्य हो (उसकी नामजदगी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए।)

(2) निदेशक/संयुक्त निदेशक

(3) स्थापना समिति का अध्यक्ष/सदस्य

(4) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, सिवाय उन मामलों के जिनमें विभाग के अध्यक्ष/प्रोफेसर का चयन किया जाना हो।

(5) दो विशेषज्ञ प्राफेसर/विभागाध्यक्ष के सभी पदों के लिए तीन, और

(6) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् का सचिव (वह संयोजक होगा)

27. परिषद् के मुकाबले में सभी द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित) और तृतीय श्रेणी के पदों के लिए चयन समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. अध्यक्ष संयुक्त निदेशक

2. सचिव

3. निदेशक द्वारा मनोनीत एक उपयुक्त व्यक्ति जिसका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद से कोई संबंध न हो।

4. अवर सचिव (प्रशासन/भर्ती) वह संयोजक होगा।

28. सचिव और अवर सचिव (प्रशासन भर्ती) की एक चयन-समित सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का चयन करेगी। अवर सचिव (प्रशासन/भर्ती) समिति का संयोजक होगा।

29. क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिये अपनाए जाने वाले वर्तमान पद्धति सामान्यतः ठीक ही है और इसे जारी रखा जाए।

30. गैर शैक्षिक पदों का कुछ प्रतिशत भाग पिछले पदों से पदोन्नति के लिये आरक्षित रखा जाए। तय हो जाने पर इस प्रतिशतता को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय। इस पद्धति को शक्षणिक पदों पर भी कुछ सीमा तक अर्थात प्राध्यापकों अथवा अनुसंधान अधिकारियों के ग्रेड में यदि संभव हो, लागू किया जाय।

31. इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार चयन करने हेतु गठित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों को ही अधिसूचित किया जाय।

32. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सावधानी पूर्वक लिखी जाय। वे व्यक्ति परकता, पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए।

33. गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक व्यापक सूची का संकलन करना चाहिए। इस संबंध में गोपनीय रिपोर्ट लिखने वालों के कार्य का मूल्यांकन भी उनकी अपनी गोपनीयय रिपोर्टों में किया जाना चाहिए।

34. "बारी के बगैर" पदोन्नति केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जो असाधारण हों और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संभव सावधानी बरती जानी चाहिए कि इन पदोन्नतियों से अधिकारी वर्ग में पक्षपात की भावना न उभरे।

35. प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को दो वर्ष अथवा ऐसी ही अवधि में सामान्यतः या तो परिषद् के उपयुक्त संवर्ग में खपा लिया जाना चाहिए अथवा उनके मूल कार्यालय के वापस भेज दिया जाना चाहिए।

36. यदि आवेदन-पत्र में उल्लिखित "रेफरीज" से परामर्श नहीं किया जाता है अथवा जैसा कि सब जानते हैं, परामर्श लिए जाने पर उनके विचारों का चयनकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आवेदन-पत्र में से संबद्ध कालम को हटा दिया जाना चाहिए।

37. तदर्थ आधार पर नियुक्तियां केवल कभी-कभी की जाये और उनकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपेक्षित स्टाफ की दीर्घकालीन योजना बनाना जरूरी है।

38. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि वह बाद में परिषद् के अन्तर्गत नियमित/अस्थायी नियुक्ति के लिए चुन लिया जाय, तो वह वेतन, पदोन्नति और स्थायी किए जाने के संबंध में ऐसी सेवा का कोई लाभ उठाने का प्रयत्न न करें।

39. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के मुख्यालय में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती का केन्द्रीयकरण एक अच्छा कदम है और इसे जारी रखा जाय।

40. चयन के समय यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो और अस्वीकृत उम्मीदवारों में से तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जानी हो तो यह नियुक्ति भी इसी चयन समिति की पूर्ण सहमति से की जानी चाहिए।

41. यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में तदर्थ आधार पर सेवा करने के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को आमंत्रित किया जाय तो नियुक्ति से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उस पद के काम के लिए पूर्णतः योग्य है।

42. यदि किसी क्षेत्रीय कालेज में किसी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के पद पर तदर्थ नियुक्ति 6 महीने से अधिक समय के लिए की जानी हो, तो स्थापना समिति के अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक की भी अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

43. भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया को 6 महीने की अवधि में ही अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

44. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के भर्ती कक्ष का कार्यभार एक ऐसे सहायक सचिव के स्तर के एक अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जिसकी मदद के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त लिपिक वर्गीय स्टाफ हो।

45. अराजपत्रित अस्थायी पदों पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वे शैक्षणिक हो अथवा गैर शैक्षणिक हों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत स्थायीवत्ता का लाभ दिया जाना चाहिए।

46. "चयन सूची" तथा "आरक्षण सूची" के पद संबंधित विज्ञापन में दिए गए रिक्त पदों की संख्या से ज्यादा अधिक न होने चाहिए।

47. किसी एक पद के लिए चुने गए उम्मीदवार का स्थानान्तरण दूसरे किसी ऐसे पद पर नहीं करना चाहिए जो पूर्णतया पहले वाले से भिन्न कोटि का हो। इसी प्रकार से एन० सी० ई० आर० टी० में उन दो पदों का अन्तर—तबादला किया जा सकता है जो समान स्तर के हों।

48. एन० सी० ई० आर० टी० के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उन्हीं आधारों पर रखा जाए जिन पर दूसरे केन्द्रीय सरकारी संगठनों में कार्य करने वालों को रखा जाता है।

49. पदोन्नतियों सहित समस्त एन० सी० ई० आर० टी० के सभी श्रेणी-I और श्रेणी-II वाले पदों को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से सहमति "भर्ती" प्राप्त करने का निवेदन किया जाए।

50. सलाहकारों के लिए, यदि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो वर्तमान पारिश्रमिक दर को प्रतिदिन 100 रुपये तक बढ़ा दिया जाए, उन उनको वैकल्पिक रूप से 75 रुपये दैनिक भत्ता दिए जाए।

51. उन सलाहकारों/विशेषज्ञों के लिए जिन्हें लम्बी दूरी पर जाना पड़ता है, अधिक उदारता से ए० आई० आर०/ए० सी० सी० यात्रा की संस्वीकृति दी जाए।

52. स्थापन समिति के सदस्यों को आवेदनों के प्रत्येक सैट की, बिना उनकी संख्या पर ध्यान दिए, जांच करने के लिए पारिश्रमिकि के रूप म 50 रुपये का भुगतान किया जाए।

53. बाहर के सलाहकारों को लम्बे समय की (चार से छः सप्ताह के बीच तक) सूचना भेजी जाए।

54. एन० सी० ई० आर० टी० के प्रशासनिक स्कन्ध में एक विशेष कक्ष (सैल) बनाया जाए जिसका प्रभारी (इन्चार्ज) एक ऐसे कुशल अनुभवी अधिकारी बनाया जाए जो वरिष्ठता के बारे में दावों और प्रतिदावों की छटनी कर सके तथा गृह कार्य मंत्रालय के आदेशों जैसा कि उन्हें विधि के न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुसार स्टाफ के विभिन्न वर्गों की वरिष्ठता सूचियां बना सके। झगड़े आदि में पेंशन/निर्वाह निधि नियमों, वेतन तथा भत्ते वाले सभी मामलों की यह कक्ष (सैल) जांच कर सकता है।

55. अल्पकालिक अनुदेशों की नियुक्ति को कम से कम करने के लिए अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता को उच्च योजना-बद्ध किया जाए।

56. अन्य बातों के समान रहने पर, पदों को सही भरते समय परिषद् के कर्मचारियों को अपनी शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव के लिए वरीयता दी जानी चाहिए।

57. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी को, अपने कार्य के साथ-साथ एक पद का प्रभारी (इंचार्ज) नियुक्त करने पर भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत वेतन-मान के आधार पर दोहरी जिम्मेदारियों के लिए उसको प्रतिपूरक दिया जाना चाहिए।

58. वे लाभ जिन्हें सरकारी कर्मचारी प्राप्त कर रहा है अथवा भविष्य में प्राप्त करेगा और जो उसके वेतन-मान के अधीकतम पर पहुंचने के बाद बन्द हो जाता है, एन० सी० ई० आर० टी० कर्मचारियों के लिए भी लागू होने चाहिए। कनिष्ठ कर्मचारियों के मामलों में अध्ययन अवकाश नियमों में उदारता बरती जाए। यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को बाहरी देशों में जाने के अवसर दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

59. एकेडेमिक स्टाफ में होने वाले रिक्त पदों को तुरन्त भर देना चाहिए।

60. एन० सी० ई० आर० टी० के वर्तमान "विनियमों" को फिर से एक बार दोहराया जाए ताकि उपयुक्तता, स्पष्टता तथा कानूनी शुद्धता की दृष्टि से ये सुरक्षित रह सकें।

61. एन० सी० ई० आर० टी० की दीर्घवर्ती आवश्यकताओं का तात्काल पुनरीक्षण शीघ्र किया जाए और उसके बाद जितने स्थान संभव हो सकें उनके स्थायित्व की पुष्टि की जाए।

62. एन० सी० ई० आर० टी० को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कोटे के अनुसार निर्धारित पदों को यथाशीघ्र भरने के प्रयास किए जाएं।

63. क्षेत्रीय कालेजों के प्रधानाध्यापकों को कुल परिलब्धियों के मामले में अपने प्रोफेसरों पर सरसरी दृष्टि रखनी चाहिए।

(शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय)

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० एफ०-1-11/71-एस० डब्ल्यू०-3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-11/71-एस० डब्ल्य०-3 दिनांक 19 मई, 1971 के आंशिक अशोधन में भारत सरकार श्री एस० वेंकटारमन, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव को श्री एस० डी० नारगोलवाला के स्थान पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय तथा कार्यकारी समिति में एक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. मंत्री मंडल सचिवालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय।
8. पत्र सूचना कार्यालय।
9. महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
10. कम्पनी-कार्य विभाग।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली 50 अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित)।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष।

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० सत्यम, उप सचिव

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1973

सं० एफ० 1-2/72 वाई० एस० 1(2)—15 सितम्बर 1972 के द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद् की कार्यकारिणी समिति में नियुक्ति किए गए सदस्य श्री एम० एन० कपूर की पदावधि एतद्द्वारा 1 मई, 1973 से एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है।

शाहिद अली खां, संयुक्त सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० 1(1)/67-बी० टी० पी० सी० बी०—स्थायी समिति के गठन से संबंधित तथा समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० दो-28(7)/67, दिनांक 23 जून, 1967 के पैरा 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

पैरा 6 : बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

1. सचिव, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, (टी० एण्ड पी०), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) . . सदस्य
3. संयुक्त सचिव (विद्युत्) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . सदस्य

4. सदस्य (डी० एण्ड आर०) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (जल स्कंध) . सदस्य
5. सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंध) . . सदस्य
6. मुख्य अभियंता मुख्य परियोजना अभियंता बदरपुर ताप परियोजना निर्माण संगठन सदस्य
7. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बदरपुर ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड . . . सदस्य
8. निदेशक (आई० एफ० ए०) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . सदस्य
9. सचिव, बदरपुर ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड सचिव

आदेश

सं०-1 (1)/67बी० टी० पी० सी० बी०—आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक तथा दिल्ली प्रशासन को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

लक्ष्मी चन्द्र गर्ग, अवर सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1973

संकल्प

विषय:—असम की राजधानी के लिए स्थल को चयन करने वाली समिति की नियुक्ति।

सं० के०-14011/26/62-यू० डी०-II—भारत सरकार ने विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग के पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय कार्यालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री भारत के० वन्सल को आसाम की राजधानी के लिए स्थल का चयन करने वाली समिति का सदस्य मनोनित करने का निर्णय किया है जो निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च, 1973 के संल्कप सं० के० 14011/26/72-यू० डी० II के द्वारा गठित की थी।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेज दी जाय।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

विषय:—दिल्ली महा नगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी के लिये विकास योजनाओं के बनाने तथा कार्यान्वयन हेतु उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का पुनर्गठन।

सं० के० 14011/15/73—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि दिल्ली महा नगर क्षेत्र था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये विकास योजनाओं के बनाने तथा कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य के केन्द्रीय राज्य मंत्री पुनर्गठित उच्च शक्ति प्राप्त बोर्डों के सदस्य नहीं रहेंगे।

2. उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 31 मई, 1973 तथा 16 अगस्त, 1973 के संकल्प सं० 8-6(1)/69-यू० डी०-II द्वारा पुनर्गठित किया गया था।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित यक्तियों को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० एन० किदवई, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० क्यू० -13016/9/पी० एच० ई० जि०-II (सी० यू० डब्ल्यू०)—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के दिनांक 6 मई, 1972 के संल्कप संख्या संख्या क्यू०-13016/97/71-पी० एच० ई० के पैरा 1 में प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए:—

"6 डा० एस० आर० बरुआ, आयुक्त सदस्य" (उर्वरक विकास) कृषि विभाग, नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को निम्नलिखित को भेजा जाय:—

1. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।
7. भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, कृषि को छोड़ कर।
9. सभी राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र।

10. महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व , नई दिल्ली।

11. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

12. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

13. केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान,, नागपुर।

14. अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता।

15. कृषि विभाग उनके दिनांक 6-9-73 के अ० स० सं० 22-19/72-मैन्यूर्स के संदर्भ में।

यह आदेश दिया जाता है कि इस को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाय।

सतीश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th October 1973

No. Q/Hin/621/43/72.—In pursuance of the decision taken in the First Meeting of the Kendriya Hindi Samiti held on 20th December, 1972 under the Chairmanship of the Prime Minister, a Sub-Committee of the Kendriya Hindi Samiti has been set up in the Ministry of External Affairs. The Sub-Committee will consist of :—

1.	Shri Swaran Singh, Minister of External Affairs.	Chairman
2.	Shri Surendra Pal Singh, Minister of State in the Ministry of External Affairs	Vice-Chairman
3.	Shri Ganga Sharan Sinha, M.P.	Member
4.	Dr. Ramdhari Sinha Dinkar	Member
5.	Shri R. Sadasivam	Member
6.	Shri R. P. Naik, Hindi Adviser to the Government of India.	Member
7.	Shri Avtar Singh, Secretary (West)	Member-Secretary

This Sub-Committee will function within the framework of the general policy of the Government and advise this Ministry on matters relating to the use of Hindi and its progress. The term of the Sub-Committee will be three years from the date of its constitution.

The Headquarters of the Sub-Committee will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., P.M.'s Sectt., Cabinet Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, New Delhi, the Lok Sabha Sectt., the Rajya Sabha Sectt. and Indian Missions abroad.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURENDRA SINGH ALIRAJPUR,
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 20th October 1973

No. 1/8/71-CTE.—In continuation of Notification No. 1/8/71-CTE dated 30th August, 1972 published in Part I, Section I of the Gazette of India, it is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the following members of the Governing Body of the C.S.I.R. shall be members of the Society (Council of Scientific & Industrial Research) in accordance with Rule 3(iii) of the Rules & Regulations of the Council of Scientific & Industrial Research :—

1. Nominee of Ministry of Finance, Government of India, (Shri M. R. Yardi, Finance Secretary). (In place of Financial Adviser to CSIR referred to at S. No. 20 of Notification No. 1/8/71-CTE dated 30-8-1972)

2. Prof. Jai Krishna, Vice-Chancellor, University of Roorkee,

3. Shri N. P. Sen, Administrative Staff College of India, Bella Vista, Post Box No. 4, Hyderabad-500004.

4. Five Chairman of the following Coordination Councils :—

   (a) Engineering Group
   (Dr. A. Lahiri, Director, Central Fuel Research Institute, Jealgora).

   (b) Chemical Sciences Group
   (Dr. M. G. Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun).

   (c) Biological Sciences Group
   (Dr. M. L. Dhar, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow).

   (d) Physical & Earth Sciences Group
   (Dr. A. R. Verma, Director, National Physical Laboratory, New Delhi).

   (e) Fibre Group
   (Shri K. Sreenivasan, Director, South India Textile Research Association, Coimbatore).

Y. NAYUDAMMA, Secy.
Department of Science & Technology

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING)

New Delhi, the 9th October 1973

CORRIGENDUM

No. 5-9/71-AP.—In this Ministry's Notification No. 5-9/71-AP, dated the 29th January, 1973 relating to the

constitution of an Indian Advisory Board to advise on policy and technical matters related to the child care Project in Andhra Pradesh,

For

10. Commissioner Panchayati Raj, Govt. of Andhra Pradesh.

Read

10. Secretary, Employment and Social Welfare Department, Govt. of Andhra Pradesh.

A. P. ATRI, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 20th September 1973

AMENDMENT

No. J.12028/1/72-FD(WLF).—In the Resolution of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) No. J.12028/1/72-FD(WLF) dated the 4th June, 1973, item b (ii) under Horticulture Committee may be substituted by the following :—

"Deputy Inspector General of Forests"

RUP RAM, Under Secy.

New Delhi, the 19th October 1973

RESOLUTION

No. 41-3/73-CAII.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Sugarcane Development Council set up earlier *vide* their Resolution No. 8-8/67-CC.II dated 28-10-67. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Govt. of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary to the Govt. of India in the Department of Agriculture.

III. *MEMBERS*

(a) Representatives of the Central and State Govts.

(1) One representative from each of the following State Governments in the Deptt. of Agriculture/Cane Development to be nominated by the respective State Government :—

(i) Uttar Pradesh
(ii) Maharashtra
(iii) Punjab
(iv) Haryana
(v) Andhra Pradesh
(vi) Mysore
(vii) Tamil Nadu
(viii) Bihar

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) Agriculture Commissioner with the Govt. of India.

(4) One representative of the Ministry of Commerce.

(5) One representative of the Deptt. of Food.

(6) The Director, Indian Institute of Sugarcane Research, Rai-Bareli Road, P.O. Dilkhusa, Lucknow-2.

(7) Project Coordinator (Sugarcane) I.I.S.R. Lucknow.

(8) Project Coordinator (Sugarbeet) I.I.S.R. Lucknow.

(9) Joint Commissioner (E.T.) or alternatively Director, Farm Information Unit as representative of Directorate of Extension.

(b) *Growers' Representatives* :

(1) One representative of the Growers to be nominated by the respective State Government from each of the following major Sugarcane growing States :—

(i) Uttar Pradesh
(ii) Maharashtra
(iii) Punjab
(iv) Haryana
(v) Andhra Pradesh
(vi) Mysore
(vii) Tamil Nadu
(viii) Bihar.

(2) One representative of growers to be nominated by the Govt. of India.

(c) *Representatives of Industry* :

(1) One representative of the Indian Sugar Mills Association.

(2) One representative of the National Federation of Cooperative Sugar Factories.

(3) One representative of Gur and Khandsari interest to be nominated by the Government of Uttar Pradesh.

(d) *Representative of Trade* : One representative each of the Sugar Merchants' Association at :

(1) Bombay
(2) Kanpur
(3) Calcutta.

(e) *Members of Parliament* : For Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(f) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented on the Council.

IV. *Member Secretary*

The Director, Directorate of Sugarcane Development, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture.

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture.

(3) Director, National Sugar Institute, Kanpur.

(4) Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore.

(5) Joint Commissioner (Export Promotion) Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(6) Joint Commissioner (Commercial Crops), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(7) Deputy Secretary (Crops), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(8) Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), New Delhi.

2. *FUNCTIONS* : The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider the development programme formulated by the Central and State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress;

(ii) to play a dynamic role in examining the problems of marketing, processing, storage and transport of the commodities and in their trade and pricing and advising the Government thereon;

(iii) to bring suitable coordination between research and development programmes by formulation of programmes and in advising research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

(iv) to consider the needs of the export market and adjust the programmes of development suitably thereto; and

(v) to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time.

3. The Indian Sugarcane Development Council will have powers to set up as and when necessary Standing Committees, Technical Committees and *ad hoc* Committees to look into issues of special importance and to coopt members, where necessary (such as representatives of Agricultural Universities and other special interests).

4. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which sugarcane is grown and will make recommendations to the Government of India.

5. The term of the reconstituted Council will be upto 31-12-76. It may, however, be extended or curtailed by the Govt. of India, if considered necessary. The members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be members of the Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

SOCIAL WELFARE & CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 24th October 1973

IN THE MATTER OF SIR JAMSETJEE JEJEEBHOY PARSEE BENEVOLENT INSTITUTION, BOMBAY

No. F.8/5/72-CDN.—Whereas by the Office Memorandum No. F.8-5/72-CDN, dated the 21st July, 1973, from the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Department of Education), the Treasurer of Charitable Endowments for India was authorised to re-invest the repayment proceeds of the 4% Bombay Port Trust Loan 1912-1973 of the face value of Rs. 10,500/- belonging to the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay, in the 5½% Government of India Loan 1999;

And whereas the Charity Commissioner, Maharashtra, Bombay, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India has reported that the said reinvestment has since been completed by subscribing to the said Government of India Loan 1999 of the face value of Rs. 10,500/- at a cost of Rs. 10,436.01 thus leaving an un-invested balance of Rs. 63.99 p, which is too small an amount for investment, and has therefore to be refunded to the authorities of the said Institution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs the Treasurer of Charitable Endowments for India, to refund the said un-invested balance of Rs. 63.99 p (Rupees sixty three and paise ninety nine only) to the person acting in the administration of the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

KANWAR LAL, Under Secy.

New Delhi, the 23rd October 1973

RESOLUTION

SUBJECT :—*Recruitment policies and procedures of the National Council of Educational Research & Training.*

No. F.1-25/70-Schools.IV.—In exercise of powers vested in them *vide* Article 6 of the Memorandum of Association of the National Council of Educational Research & Training, the Government of India *vide* their Gazette Notification No. F. 1-25/70-Schools 4, dated the 3rd November, 1970, appointed Shri Batuk Singh, retired Controller General of ence Accounts and formerly a member of the Union Public Service Commission, to review the recruitment policies and procedures of the Council with the following terms of reference : -

(i) To review the recruitment policies and procedures adopted by the Council since its establishments and to recommend policies and procedures suitable for the Council in the context of its present role.

(ii) To examine the allegations of irregularities in recruitment contained in the representation to the Union Minister for Education by some Members of parliament and report on them.

2. Shri Batuk Singh submitted his report on 31st May, 1971. A summary of the recommendations as furnished by him in the report is annexed to this resolution.

3. Government have examined the report in consultation with the Executive Committee of the N.C.E.R.T. and in exercise of the powers vested in them under Article 6 of the Memorandum of Association of the Council, Government hereby direct that action shall be

taken by the Councile on the Recommendations made in the reports as indicated below :—

(a) the following recommendations concerning recruitment procedures and allied matters should be implemented by the Council immediately and necessary rules, regulations or orders in that behalf as may be required should be issued by the Council :—

Recommendation Nos. 1, 2, 3, 15, 20, 23, 24, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62 and 63.

(b) Recommendation No. 49 suggests the entrustment of 'consent recruitment' of class I and II Staff to the Union Public Service Commission. With the implementation of various measures recommended in the Report for improving recruitment procedures in the Council, it is felt that there will be no necessity for the Council availing themselves of the assistance of the U.P.S.C. Under the circumstances, recommendation No. 49 need not be implemented.

(c) Recommendation Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 and 36 may be examined by a Committee of Academic Experts to be appointed by the President of the Council and the matters may then be considered by the Executive Committee.

(d) Recommendation No. 25 is to be implemented subject to suitable provision being made for relaxation in exceptional cases particularly for candidates living outside India.

(e) Recommendation No. 26 is to be implemented subject to the modification that the Chairman of the Selection Committee need not necessarily be a retired member of the U.P.S.C. as it may not always be possible to secure the services of such a person for every selection Committee.

(f) Recommendations Nos. 27, 28, 29, 30, 31 and 34 may be considered in detail by the Executive Committee of the N.C.E.R.T. and final decision taken by it.

(g) Recommendation Nos. 50, 52, 57 and 58 need not be implemented. In matters such as travelling allowance etc., the N.C.E.R.T. should follow as far as possible the practice prevailing in the Central Universities as regards academic staff and for non-academic staff the Council should follow the practice followed by by the Government of India.

4. Government note that Shri Batuk Singh has held that "a majority of the complaints lodged against the Council's management have been found to have been exaggerated or are unproved in the sense that they are not supported by available documentary evidence." He has, however, pointed out serious deficiencies in the procedures adopted by the Council. Government hope that with the implementation of the various remedial measures suggested by Shri Batuk Singh, the deficiencies found in the administration and recruitment procedures will be removed.

5. Government have noted that out of the seven cases of alleged irregularities in appointments investigated by Shri Batuk Singh, the undermentioned three cases involved relaxation of qualifications. These were recommended by properly constituted Selection Committees :—

(a) Appointment of Lecturer (now called Assistant Project Officer) in the Department of Social Sciences.

(b) Selection of Shri G. Raju as Reader in Zoology.

(c) Recruitment to the post of Reader in Physics, Regional College of Education, Bhopal.

About the fourth case Government note that Shri Batuk Singh found that regarding complaints on the selection of staff for the Data Processing and Educational Survey Unit, no proof existed in support of the charge that the Selection Committee was influenced by regional or personal considerations in making selections; and the charge of *mala fides* against the Selection Committee has not been substantiated. Government, however, note that initially the list of candidates for interview had not been prepared carefully.

As regards the remaining three cases, two cases pertain to long term *ad hoc* appointments and one relates to irregularity in appointment. Government have noted that the Executive Committee has already taken necessary steps to set right the matters in this regard.

6. Government would like to place on record their appreciation of the services rendered by Shri Batuk Singh in the conduct of the enquiry entrusted to him and in submitting a valuable report.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

I. D. N. SAHI, Secy.

ANNEXURE TO GOVERNMENT OF INDIA'S

RESOLUTION NO. F.1-25/70-SCHOOLS.4, DATED THE

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS AS GIVEN BY SHRI BATUK SINGH IN HIS REPORT ON THE RECRUITMENT POLICIES AND PROCEDURE OF THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

1. The N.C.E.R.T. must quickly compile its own regulations on as comprehensive a scale as possible.

2. The N.C.E.R.T. need not follow in minute detail the procedures approved by the Government of India for recruiting their own employees;

3. Recruitment by 'personal contact" of handpicked top men are bound to be few and far between; each selection will have to be dealt with on merits;

4. The "essential" and "desirable" qualifications of *all* jobs under the NCERT should be listed in detail and got approved by the Establishment Committee. Any subsequent amendment thereto should also be similarly approved;

5. The wordings of qualifications, whether "essential" or "desirable", should be free from vagueness, imprecision or ambivalance;

6. The number of alternative qualifications should be drastically reduced;

7. The practice of locating "Compensating" qualifications should apply to "desirable" qualifications only;

8. Where a "Ph.D." Degree is included under "essential" or "desirable" qualifications, no alternative or "equivalence" to it should be inserted;

9. There should be a brief but definite code of relaxations of qualifications which should be

intelligible, explainable, equitable and unavoidable;

10. The NCERT employees should complete with "Open Market" candidates on the basis of complete equality for all "Academic" posts. They should be eligible to do the same in case of "Non-Academic" posts also;

11. The relaxation of age-limit in the case of employees of the Council should be up to a maximum of five years;

12. The Head of the Department, Director/Joint Director, and the member concerned of the Establishment Committee should not take more than ten days' time each for screening applications;

13. When the difference between two candidates is marginal, the benefit of the doubt should go to the second candidate also for the purpose of the "interview";

14. The Advisers' names should be kept strictly confidential.

15. The advisers should, as far as possible, come from every region and part of the country. The weightage enjoyed by Delhi so far in this respect deserves to be drastically abridged;

16. The same advisers, howsoever eminent, should not be called over and over again;

17. The same members of the Establishment Committee should not be invited to do the final screening of the applications for a post and also requested to sit in the selection committee for selecting candidates for the same post;

18. If there is any difference of opinion among "Advisers"/Experts, the post should be re-advertised and a fresh selection committee assembled for making selections; In that event, the "Advisers"/Experts should also be changed;

19. The Chairman of all selection committees convened for recruiting class I & Class II (Gazetted) posts should be an outsider, preferably, a retired member of the Union Public Service Commission;

20. Full explanation must be given for the grant of advance increments;

21. The "Reserve List" should not be viewed as current if it is more than a year old;

22. The "Reserve List" of candidates should be treated as a confidential document to be kept by the Director;

23. *Every time* a selection committee meets, its members should be requested to keep the contents of its proceedings strictly confidential;

24. A successful candidate given a higher grading should not be paid less than the one who is lower down in the merit-list as complied for the same post;

25. Candidates should not be considered "in absentia";

26. The Selection Committee for all Gazetted posts in the Council should consist of :

(1) A chairman who should be a retired member of the UPSC (He should be nominated by the President of the Council.)

(2) Director/Joint Director;

(3) Chairman/member of the Establishment Committee;

(4) Head of the Department concerned except where the Head of a Department/Professor has to be selected;

(5) Two experts—Three for all posts of Professors/Head of a Department; and

(6) Secretary, N.C.E.R.T. (He will be the Convener).

27. The composition of the selection committee for all Class II (Non-Gazetted) and Class III posts at the Headquarters of the Council should be as follows :—

(1) Chairman—Joint Director;

(2) Secretary;

(3) A suitable nominee of the Director not belonging to the NCERT organisation;

(4) Under Secretary (Administration/Recruitment). He will be the Convener.

28. A selection committee consisting of the Secretary and Under Secretary (Administration/Recruitment) will choose all Class IV employees. The latter will be the Convener.

29. In the Regional Colleges of Education, the existing procedure in respect of filling Class II (Non-Gazetted), Class III and Class IV vacancies is by and large all right and should continue.

30. A percentage of vacancies on the Non-academic side should be reserved for promotion from below; This percentage, when decided, should be published for general information. This procedure may also be applied on the academic side on a limited scale, *viz.* to the grade of lecturers or Research Officers, if found feasible;

31. The composition of the departmental promotion committee for selecting candidates to fill these vacancies should also be notified;

32. Annual Confidential reports should be carefully written. They should be free from subjectively, bias or prejudice;

33. The Director of NCERT should compile a comprehensive list of "Do's" and "Dont's" for the writing of confidential reports. The writers of confidential reports should themselves be assessed on their performance on this account in their own confidential reports;

34. "Out-of-Turn" promotions should be given only to those who are really outstanding and every possible precaution taken to ensure that these promotions do not degenerate into an exercise in rank favouritism;

35. "Deputationists" should normally be either absorbed in the appropriate cadres of the Council or returned to the parent body within a period of two years or so;

36. If the "Referees" mentioned in the application forms are not consulted, or, as it is known, their views, if consulted, do not carry much their with the selectors, the relevant column in the application form should be deleted;

37. *"Ad-hoc"* appointments should be made only sparingly and should not last more than a year. Long term planning of staff requirements is essential;

38. Steps should be taken to ensure that no *ad hoc* appointee exploits his service in such appointments for pay, promotion and confirmation if he

is subsequently selected for a regular/temporary vacancy under the Council;

39. Centralisation of recruitment of all Class I and Class II posts at Headquarters of NCERT is a sound step and should continue;

40. When no candidate is found suitable at a selection and an *ad hoc* appointment has to be made out of the rejected candidates, this appointment should also be made with the full concurrence of the same selection committee;

41. If an outsider is invited to serve the NCERT in an *ad hoc* capacity, it should be ensured that he is fully qualified in terms of job requirement before he is appointed;

42. If a class I or class II *ad hoc* appointment in a Regional College is expected to last for more than six months, the covering approval of the Chairman of the Establishment Committee or the Director, NCERT, should be obtained;

43. The entire process of recruitment should be gone through within a period of six months;

44. An officer of the status of Assistant Secretary supported by an adequate number of suitable clerical staff should be in sole charge of the recruitment cell of the NCERT;

45. The holders of all non-gazetted temporary posts, academic or otherwise, be given the benefit of quasi-permanency under the same rules as apply to the Central Government Servants;

46. The "Select List" and the "Reserve List" should not be for out-of-step with the number of vacancies given in the relevant advertisement;

47. A candidate selected for one post should not be shifted to another post of an entirely different character. Similarly, inter-transfer within the NCERT should be between posts which are of a like nature.

48. The daily paid workers of the NCERT should be placed on the same footing as those under other Central Government organisations.

49. The Union Public Service Commission may be requested to take over as "Consent Recruitment" the filling up of all Class I and Class II posts of the entire NCERT Organisation, including promotions;

50. The present rate of honorarium to the advisers be raised to Rs. 100/- per day unless they happen to be Government Servants; alternatively a daily allowance of Rs. 75/- may be given to them;

51. AIR/ACC travel be sanctioned more liberally to those advisers/experts who have to cover long distances;

52. Members of the Establishment Committee be paid Rs. 50/- as honorarium for screening each set of applications irrespective of their members;

53. Long notice (between four to six weeks) should be given to outstation advisers;

54. A special cell be created in the Administrative Wing of the NCERT and NCERT and a sufficiently experienced officers be put in-charge of it to sortout all claims and counter-claims about seniority and to draw up seniority lists of various categories of staff in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs as modified from time to time by rulings given by courts of Law. This cell can look into all matters pertaining to pension/provident fund rules, pay & allowances in dispute etc.

55. Advance planning of requirement of Teaching staff should be undertaken to minimise the engagement of short-term instructors;

56. Other things being equal, preference should be given to the employees of the Council in filling up short-term vacancies appropriate to their educational qualifications and experience;

57. Anyone appointed "Incharge" of a post by the competent authority in addition to his own duties should be compensated for dual responsibilities on the scale sanctioned by the Government of India;

58. The benefits which a Government Servant, who is stagnating at the maximum of his pay scale, is getting or may get in future, should be made applicable to the NCERT employees also; Study leave Rules may have to be liberalised foreign countries should be provided to as may persons as possible;

59. Vacancies occurring in the Academic Staff should be filled quickly;

60. A second look at the present "Regulations" of the NCERT may be had to secure their adequacy, clarity and non-volunerability in a Court of Law;

61. A quick review of the long-term needs of the NCERT be made at an early date and permanency be conferred on as many posts as possible thereafter;

62. The NCERT should make every effort to fill the scheduled castes and Scheduled Tribes quota in its ranks as early as possible;

63. The principals of the Regional Colleges should have a slight edge over their professors in the matter of total emoluments.

SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA (SAMAJ KALYAN VIBHAG)

New Delhi-110001, the 19th October 1973

RESOLUTION

No. F.1-11/71-SW.3/WW.—In partial modification of the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-11/71-SW.3, dated the 19th July, 1971, the Government of India are pleased to appoint Shri S. Venkataraman, Joint Secretary in the Ministry of Finance, as a member in the General Body and the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company) with immediate effect *vice* Shri S. D. Nargolwala.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution to be communicated to :—

1. All the members of the Central Social Welfare Board.
2. All State Governments/Union Territories.
3. All Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M.'s Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenue, New Delhi.

10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi (with 50 spare copies).
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Dy. Secy.

New Delhi, the 20th October 1973

No. F.1-2/72-YSI(2).—The term of office of Shri M. N. Kapur, member of the Executive Committee of the All India Council of Sports appointed *vide* notification No. F.1-2/72-YSI(2) dated 15th September, 1972, is hereby extended by one year with effect from the 1st May, 1973.

SHAHID ALI KHAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 23rd October, 1973

RESOLUTION

No. 1(1)/67-BTPCB.—Para 6 of this Ministry's Resolution No. El-II.28(7)/67, dated the 23rd June, 1967, relating to the composition of the Standing Committee of the Badarpur Thermal Project Control Board, as amended from time to time, shall be substituted by the following :—

Para 6 : The Board shall have a Standing Committee consisting of the following :—

Chairman

1. Secretary, Ministry of Irrigation and Power.

Members

2. Joint Secretary (T&P), Ministry of Finance (Department of Expenditure).
3. Joint Secretary (Power), Ministry of Irrigation and Power.
4. Member (D&R), Central Water & Power Commission (Water Wing).
5. Member (Thermal), Central Water and Power Commission (Power Wing).
6. Chief Project Engineer, Badarpur Thermal Project Construction Organisation.
7. Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Badarpur Thermal Project Control Board.
8. Director (IFA), Ministry of Irrigation and Power.

Secretary

9. Secretary, Badarpur Thermal Project Control Board.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Government of Haryana and Uttar Pradesh, the Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President, the Planning Commission, the Cmptroller and Auditor General of India and the Delhi Administration.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

L. C. GARG, Under Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 19th October 1973

RESOLUTION

SUBJECT :—*Appointment of a Committee for Selection of Site for the Capital of Assam.*

No. K.14011/26/72-UDII.—The Government of India have decided to nominate Shri Bharat K. Bansal, Senior Specialist in the Office of Environmental Planning and Coordination, Department of Science and Technology, New Delhi as a Member of the Committee for Selection of Site for the Capital of Assam set up *vide* the Ministry of Works and Housing Resolution No. K.14011/26/72-UDII dated the 15th March, 1973.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUBJECT :—*High Powered Board for the formulation and the implementation of the development plans for the Delhi Metropolitan Area and the National Capital Region—Reconstitution of.*

No. K.14011/15/73-UDII.—The Government of India have decided that the Union Minister of State for Health will cease to be a member of the reconstituted High Powered Board for the formulation and the implementation of the development plans for the Delhi Metropolitan Area and the National Capital Region.

2. The High Powered Board was reconstituted *vide* the Ministry of Works and Housing resolution No. 8-6(1)/69-UDII dated 31st May, 1973 and 16th August, 1973.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gadette of India for general information.

A. N. KIDWAI, Secy.

New Delhi, the 15th October 1973

RESOLUTION

No. Q.13016/9/PHE Vol.II(CUW).—In para I of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Resolution No. Q.13016/9/71-PHE dated the 6th May, 1972 the entry 6 shall be substituted by the following entry :—

"6. Dr. S. R. Barooah, Commissioner (Fertilizer Promotion) Department of Agriculture, New Delhi—Member."

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to :—

1. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
2. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister Secretariat, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Planning Commission, New Delhi.
6. Private and Military Secretaries to the President.
7. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
8. All Ministries and Departments of the Government of India except the Department of Agriculture.
9. All States Governments and Union Territories.
10. Accountant General Central Revenues. New Delhi.
11. Indian Council of Medical Research, New Delhi.
12. Council of Scientific and Industrial Research New Delhi.
13. Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur.
14. All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
15. The Department of Agriculture with reference to their U.O. No. 22-19/72-Manures dated the 6-9-1973.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

SATISH KUMAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973